भारत सरकार

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2388

03 अगस्त, 2021 को उत्तर देने के लिए

राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी

2388. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:
श्री डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.:
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:
डॉ. सुभाष रामराव भामरे:
श्री कुलदीप राय शर्मा:
श्री रतनसिंह मगनसिंह राठौड:
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:
श्री बी.मणिक्कम टैगोर:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाले राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी (एनएफटी) संस्थानों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या एनएफटी उस उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल रहा है, जिसके लिए इसकी स्थापना की गई थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ग) खाद्य प्रौद्योगिकी और संबद्ध क्षेत्रों में एनएफटी द्वारा कितने पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं;

(घ) क्या एनएफटी संस्थान खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में श्रमबल की बढ़ती मांग को पूरा करने में समर्थ रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ड.) क्या सरकार का खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को श्रमबल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश में और अधिक एनएफटी संस्थान स्थापित करने का विचार है; और

(च) विगत तीन वर्षों के दौरान खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सृजित रोजगार के अवसरों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क) और (ख): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में दो राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी (एनएफटी) संस्थान नामत: राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान, कुंडली, हरियाणा और भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान, तंजावुर, तमिलनाडु कार्य कर रहे हैं । दोनों संस्थान उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहे हैं जिनके लिए उनकी स्थापना की गई थी ।

(ग): खाद्य प्रौद्योगिकी और संबद्ध क्षेत्रों की फील्ड में निफ्टेम द्वारा बारह पाठ्यक्रम और आईआईएफपीटी द्वारा छह पाठ्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं । निफ्टेम और आईआईएफपीटी में वे निम्नानुसार है:-

<u>निफ्टेम में:-</u>

i. बी.टेक (खाद्य प्रौद्योगिकी प्रबंधन)
ii. खाद्य प्रक्रिया इंजीनियरी और प्रबंधन (एफपीईएम) में एम.टेक)
iii. खाद्य प्रौद्योगिकी और प्रबंधन (एफटीएम) में एम.टेक
iv. खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता प्रबंधन (एफएसक्यूएम) में एम.टेक
v. खाद्य आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन (एफएससीएम) में एम.टेक.
vi. खाद्य संयंत्र प्रचालन और प्रबंधन (एफपीओएम) में एम.टेक
vii. खाद्य इंजीनियरिंग (एफई) में पीएच.डी.
viii. खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी (एफएसटी) में पीएच.डी.
ix. मूलभूत और अनुप्रयुक्त विज्ञान (बीएएस) में पीएच.डी.
x. कृषि और पर्यावरण विज्ञान (एईएस) में पीएच.डी.
xi. खाद्य व्यवसाय प्रबंधन और उद्यमिता विकास (एफबीएम एंड ईडी) में पीएच.डी.
xii. व्यवसाय प्रशासन (एमबीए) में स्नातकोत्तर

<u>आईआईएफपीटी में:-</u>

i. बी.टेक (खाद्य प्रौद्योगिकी)
ii. खाद्य प्रक्रिया प्रौद्योगिकी में एम.टेक (खाद्य प्रौद्योगिकी)
iii. खाद्य प्रक्रिया इंजीनियरिंग में एम.टेक (खाद्य प्रौद्योगिकी)
iv. खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन में एम.टेक (खाद्य प्रौद्योगिकी)
v. खाद्य प्रक्रिया प्रौद्योगिकी में पीएच.डी. (खाद्य प्रौद्योगिकी)
vi. खाद्य प्रक्रिया इंजीनियरिंग में पीएच.डी. (खाद्य प्रौद्योगिकी)

(घ): भारतीय खाद्य प्रसंस्करण संस्थान (आईआईएफपीटी) और राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम) खाद्य प्रसंस्करण और संबद्ध क्षेत्रों में बी.टेक, एम.टेक. और पीएच.डी. प्रोग्राम पेश कर रहे हैं । खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में श्रमशक्ति की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए छात्रों की संस्वीकृत प्रवेश में वृद्धि की गई है । खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में श्रमशक्ति की मांग को पूरा करने के लिए अन्य केंद्रीय वित्त पोषित संस्थान/विश्वविद्यालय, राज्य द्वारा संचालित संस्थान/विश्वविद्यालय और निजी संस्थान/विश्वविद्यालय खाद्य प्रौद्योगिकी में डिग्री, स्नातकोत्तर की डिग्री और डॉक्टरेट की डिग्री भी प्रदान करते हैं।

(ड.): वर्तमान में मंत्रालय के पास देश में और अधिक एनएफटी संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(च): उद्योगों के नवीनतम वार्षिक सर्वेक्षण (2017-18) के अनुसार पिछले तीन वर्षों अर्थात 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के दौरान पंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में रोजगार की कुल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या **अनुबंध** में दी गई है ।

*****

अनुबंध

क्र.सं.	राज्य	2015-16	2016-17	2017-18
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	124	140	68
2	आंध्र प्रदेश	140830	154227	168404
3	अरुणाचल प्रदेश	1232	1214	999
4	असम	91520	92064	88415
5	बिहार	23479	22564	24258
6	चंडीगढ़	1069	939	690
7	छत्तीसगढ	26238	29060	26837
8	दादरा और नगर हवेली	289	295	336
9	दमन और दीव	1747	1987	1773
10	दिल्ली	14056	15590	13400
11	गोवा	7350	7307	6795
12	गुजरात	108141	119403	122015
13	हरियाणा	46511	66304	68637
14	हिमाचल प्रदेश	13098	16839	12949
15	जम्मू और कश्मीर	7348	7543	9910
16	झारखंड	6206	6820	7670
17	कर्नाटक	120423	139954	137854
18	केरल	119517	97541	101668
19	मध्य प्रदेश	52471	58317	57688
20	महाराष्ट्र	238059	223624	238477
21	मणिपुर	633	634	727
22	मेघालय	796	807	1242
23	नगालैंड	265	286	274
24	उड़ीसा	30640	31714	34073
25	पुदुचेरी	4268	3445	3510
26	पंजाब	106565	128578	149319
27	राजस्थान	39080	40555	42838
28	सिक्किम	1728	1963	2008
29	तमिलनाडु	214910	216886	226675
30	तेलंगाना	65655	62919	68669
31	त्रिपुरा	2325	2524	2509
32	उत्तर प्रदेश	163142	175589	171058
33	उत्तराखंड	25783	27794	31822
34	पश्चिम बंगाल	89497	98390	109862
	कुल - अखिल भारतीय	**1764995**	**1853816**	**1933429**